न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 53/2019 RCMS No.—2019/00136

राजेश पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम घाटा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
...अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार जी बस्सी तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
..... रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट बनाराजगी तजबीज तहसीलदार बस्सी दिनांक 05.08.2019 बमिसल संख्या 06/2019 बाबत धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट

उपस्थितः–
1. श्री सुबोध कुमार जैन अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 14.11.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 05.08.2019 से अपीलांट द्वारा ग्राम घाटा तहसील बस्सी स्थित आराजी खसरा नम्बर 347/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 तलाई भूमि पर सम्वत् 2075 में अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अपीलांट को अतिचारी मानकर उक्त आराजी गै.मु.तलाई भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान की 0.16 रूपये का 50 गुना 8 रूपये बतौर शास्ति आरोपित कर वसूल करने तथा अतिक्रमी अपीलांट को मौके से बेदखल कर फसल/सामग्री आदि को कुर्क कर निलाम करने एवं साथ ही अपीलांट पश्चातवर्ती अतिचार होने के कारण अपीलांट को तीन माह (90 दिवस) की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने के आदेश दिये गये। अपीलांट्स ने उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब करने तथा रेस्पाडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त होने पर तहसीलदार बस्सी से अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट के कब्जे के संबंध में रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बस्सी द्वारा अपने पत्रांक 927 दिनांक 24.10.2019 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया, कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय अपीलांट्स के विरूद्व पारित किया है, वह वास्तविक तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज काबिल है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचित किये बिना मुकम्मिल तामील व जवाबदेही का अवसर दिये ग्राम की आपसी चुनावी रंजिश शिकायत के फलस्वरूप आनन–फानन में अपीलांट को पुनः अतिक्रमी मानकर प्रश्नगत आदेश दिनांक 05.08.2019 पारित कर बेदखल, निलामी, तथा सिविल जेल कारावास 3 माह के दण्ड से दण्डित करते हुए आदेश पारित कर दिया। अपीलांट द्वारा तथाकथित काश्त का कब्जा भी पूर्व में ही हटा लिया था एवं वरवक्त प्रकरण के अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं था एवं वर्तमान में भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस सूचना नहीं दी गई एवं एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है। जिस भूमि पर अपीलांट को पश्चात अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है उस जगह पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। तहसीलदार बस्सी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24.10.2019 से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का किसी प्रकार से कब्जा नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली क्रमांक 06/19 उनवानी सरकार बनाम राजेश में दिनांक 05.08.2019 को पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलांट का विवादित गै.मु.तलाई पर अतिक्रमण किया है। विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै.मु.तलाई दर्ज है। अपीलांट के विरूद्व धारा 91 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाकर गै.मु.तलाई की भूमि पर अतिक्रमण होने से अपीलांट को विवादित भूमि से बेदखली के आदेश दिनांक 05.08.2019 को पारित किया गया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिचारी होने के कारण अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिये है, वह उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का सम्वत् 2075 में ग्राम घाटा तहसील बस्सी स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 347/1 गै.मु.तलाई के रकबा 0.02 हैक्टेयर पर अवैध रूप से अतिक्रमण/कब्जा होने की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। प्रकरण में अपीलांट को नोटिस जारी किए गए जिसके बावजूद

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट अनुपस्थित रहा। प्रकरण में तहसीलदार बस्सी से वर्तमान में अपीलाधीन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बस्सी द्वारा पत्रांक 927 दिनांक 24.10.2019 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा पुख्ता मकान को मौके पर से परिवार सहित खाली किया जाना जाहिर किया है। अपीलांट द्वारा मौके पर से कब्जा हटाये जाने की स्थिति में प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलांट को दी गई तीन माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बस्सी द्वारा प्रकरण संख्या 06/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2019 से तीन माह (90दिवस) सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2019.11.18 15:09:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: